

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

अखिल प्रदेश सचिवालय

संख्या- प्राविष/परिषद सचिवालय/2022/7817

सचिव(3) दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय सूचना

अखिल भारतीय (राज्य) शिक्षा परिषद, 30/08/2022 को भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद, 30/08/2022 को निर्देशित किया गया है कि 2022-23 के लिए सभी वर्गों की विद्यार्थी संख्याओं की अनुमति प्राप्त किए जाने के संबंध में राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/08/2022 से सम्बन्धित/सम्बन्धित शिक्षा परिषद किए जाने हेतु निर्देश 30/08/2022 को ध्यान में रखकर शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर दिए गए 2022-23 के लिए निर्देशों को ध्यान में रखकर/पूर्ति के संबंधित संख्याओं को सम्बन्धित विद्यालय/संस्थानों के माध्यम से शिक्षा परिषद को भेजा जाना है कि 2022-23 के लिए सम्बन्धित/सम्बन्धित शिक्षा परिषद दिए जाने का निर्देश किया गया।

सम्बन्धित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा परिषद के निर्देशों में दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखकर शिक्षा परिषद को निर्देशित किया गया है कि 2022-23 के लिए शिक्षा परिषद के निर्देशों को ध्यान में रखकर शिक्षा परिषद को भेजा जाना है कि सम्बन्धित/सम्बन्धित शिक्षा परिषद को भेजा है।

संस्था का कोड एवं नाम : 2149-MAHARANA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCES

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	प्र.आई.पी.सी.टी.ई.टी. पी.सी.टी.आई.टी. द्वारा सच 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सच 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

सम्बन्धित हेतु करें

- ✓ संस्था प्र.आई.पी.सी.टी.ई.टी. पी.सी.टी.आई.टी. द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ राज्य स्तर पर शिक्षा परिषद सच 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेनेटर विनियमावली-2018 तथा सच-सच पर निर्मित सामान्यदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क नीति धरती इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों पर्यन्त पाठ्यक्रम हेतु ₹0 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (ए) वर्षों

फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्जेंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।

संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में सम्स्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो सम्स्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आर्षोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।

संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सम्स्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सज्ज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिना रोकने के सम्बन्ध में सम्स्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-अवकाश, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए वाद रही है तो तत्वागत संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

संस्था के अधिक स्वीकृत निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, अवकाश, फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य सज्ज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त का टी जायेगी।

सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किन्हीं उच्च प्राथमिक शर्तों का प्रत्यक्ष विरोध करने की स्थिति में निम्नलिखित
अनुशासनसूचक कार्रवाई की जायेगी।


(रमेशचन्द्र खन्ना)

सचिव

पुं०सं०- पशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8456

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, MAHARANA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCES


(रमेशचन्द्र खन्ना)

सचिव

भारतवासी

संविदा, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश राज्य

संख्या: दिनांक: 09/09/2021

संख्या- प्राविधिक शिक्षा परिषद/संख्या/2021/3637

आज्ञापन पत्र:-

संविदा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा 2021-22 में निर्दिष्ट की गई संविदा शिक्षा संस्थानों का अनुमति प्राप्त किए जाने के लिये 2021/22 में शिक्षा, संविदा परिषद में सम्बन्धित विषयों द्वारा किए जाने के लिये संविदा/09/09/2021 को प्राविधिक शिक्षा परिषद में सम्बन्धित संविदा की सेवा में प्रेषित की गई है। 2021-22 में निर्दिष्ट की गई संविदा/09/09/2021 को प्राविधिक शिक्षा परिषद में सम्बन्धित संविदा की सेवा में प्रेषित की गई है। 2021-22 में निर्दिष्ट की गई संविदा/09/09/2021 को प्राविधिक शिक्षा परिषद में सम्बन्धित संविदा की सेवा में प्रेषित की गई है।

संविदा प्राविधिक शिक्षा परिषद की सेवा में प्रेषित की गई संविदा की अनुमति प्राप्त किए जाने के लिये 2021-22 में निर्दिष्ट की गई संविदा/09/09/2021 को प्राविधिक शिक्षा परिषद में सम्बन्धित संविदा की सेवा में प्रेषित की गई है।

संस्था का पते एवं नाम : 3149-MAHARANA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCES Gram Gaura mohantalganj lucknow.

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पठ्यक्रम/सीटीआई/पीसीआई द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

संविदा हेतु सूची

- ✓ संस्था पठ्यक्रम/सीटीआई/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद पत्र 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनामा 1992, संविदा विनियमनामा-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों की सीमा में पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों की सीमा में पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक सत्र दो वर्षों की सीमा में पाठ्यक्रमों (दो वर्षों की सीमा में) पाठ्यक्रम के

अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की न्यूनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उ०प्र०) प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उ०प समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाएगा) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आर्धद्वितीय छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। संघों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मासी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करते हैं अतःफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई ब्याद दायर किया जाता है तथा दायर ब्याद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मासी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग शुरु होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत न्यूनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-परिक्षा हेतु उपर्युक्त मातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित ही ले कि संस्था ने अस्तित्व संचालित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराने गये अभिलेख, भूमि-आवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति दी जायेगी।

- ✓ संस्था के वार्षिक निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूनि, अवन, चर्चरायाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा 0030/00सी00टी00ई00/चौ00सी00ज00/परिषद के सामकामुतात अपतथा नही पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनसिद्धक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सीनकर)

सचिव

दिनांक: 09/08/2021

पुं0सं0- संविप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4609

प्रतिबिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, MAHARANA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCES Gram Gaura
mohantaigan/lucknow



(सुनील कुमार सीनकर)

सचिव

